IV 59/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

-1-

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

19 SEP 2018

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA N ICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH Y 735069

आवेदन संख्या: 201800736006556

पूरक पत्र (ट्रस्टनामा)

स्टाम्प अंकन 840/–रू0 किता 6 व 8 सादे पेपर

यह कि मैं **अजय खोखर पुत्र श्री चरण सिह खोखर निवासी डा0 महावीर वाली गली, बागपत तह0 व जिला बागपत उ0प्र0** का हूँ। जो कि मैंने दिनांक 12.09.2014 को एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया था जो बही न0 4, जिल्द 164, पृष्ठ 69 से 90, क्रमांक 50 पर उपनिबन्धक कार्यालय बागपत पर दर्ज है। जो निम्न है।

सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा, आर्शीवाद एवं जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर मैं **अजय खोखर पुत्र श्री चरण सिह खोखर निवासी डा0 महावीर वाली गली, बागपत तह0 व जिला बागपत उ0प्र0** इस ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा करता हूँ। इस ट्रस्ट के स्थायी कोष में अंकन 21,000/–रू0 (इक्कीस हजार रूपये) नकद ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुपुर्द करता हूँ तथा इस ट्रस्ट के निष्पादन की घोषणा करता हूँ जो निम्नानुसार है :–

अजय

क्रम संख्या 1261 स्टाम्प विक्रय की तिथि 20-9-18
स्टाम्प [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता— रीगल सेवा ट्रस्ट [illegible] बागपत
स्टाम्प का प्रकार 500

Sodhan
([illegible] स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स [illegible]
लाइसेन्स [illegible] 2019
विक्रय [illegible], बागपत

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

19 SEP 2018

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-2-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 780234

ट्रस्टियों के नाम :-

1. श्री अजय खोखर पुत्र श्री चरण सिह निवासी डा0 महावीर वाली गली, बागपत जिला बागपत (उ0प्र0) **संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी**
2. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत (उ0प्र0) **उपाध्यक्ष ट्रस्टी**
3. श्री चरण सिंह खोखर पुत्र श्री जिहान सिंह निवासी गायत्रीपुरम, बागपत जिला बागपत (उ0प्र0) **सचिव ट्रस्टी**
4. श्रीमति मीरा पत्नी श्री अजय निवासी डा0 महावीर वाली गली, बागपत (उ0प्र0) **कोषाध्यक्ष ट्रस्टी**
5. श्री सोमेन्द्र ढाका पुत्र श्री धनपाल सिंह निवासी ग्राम व डाक0 ढिकौली जिला बागपत (उ0प्र0) **सदस्य ट्रस्टी**
6. श्री हरेन्द्र मलिक पुत्र श्री हुक्म सिंह निवासी ग्राम व डाक0 पुरा जिला बागपत (उ0प्र0) **सदस्य ट्रस्टी**
7. श्रीमति संतोष पत्नी श्री चरण सिंह निवासी बडौत रोड, बाहरी बस्ती, बागपत जिला बागपत (उ0प्र0) **सदस्य ट्रस्टी**
8. श्रीमति मंजू पत्नी श्री रामकुमार निवासी मकान संख्या 21, कृष्णानगर, शाहदरा, दिल्ली **सदस्य ट्रस्टी**
9. श्रीमति रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार निवासी एस 208, पांडव नगर, दिल्ली **सदस्य ट्रस्टी**

अजय

20-9-18

क्रम संख्या 1262 स्टाम्प विक्रय की तिथि— न्यास पत्र

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन—

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता— 1261

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 0 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

(सचिन गुप्ता स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स संख्या-41/बागपत/B-18
लाइसेन्स अवधि 31-03-2019
विक्रय का स्थान रजिस्ट्री कम्पाउण्ड, बागपत

श्री [illegible] खोखर
पुत्र श्री [illegible] सिंह खोखर
व्यवसाय : अन्य
निवासी: डॉ0 महावीर वाली गली बागपत तहसील व जिला बागपत

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/09/2018 एवं 12:09:42 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विशवास वर्मा प्रभारी उप निबन्धक बागपत सदर
उप निबंधक :सदर
बागपत
22/09/2018

सुगम किशोर .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

19 SEP 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EK 780235

उपरोक्त सभी ट्रस्टियों ने सहर्ष ट्रस्टी बनना स्वीकार किया तथा ट्रस्ट फण्ड की उपरोक्त धनराशि प्राप्त की जो कि भविष्य में ट्रस्ट की स्थायी सम्पत्ति मानी जायेगी।

ट्रस्ट का नाम : रीगल सेवा ट्रस्ट, होगा।

ट्रस्ट का कार्यालय : गायत्रीपुरम, बागपत जिला बागपत (उ0प्र0) रहेगा।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत वर्ष रहेगा एवं वर्तमान में इसका प्रमुख कार्यालय गायत्रीपुरम, बागपत जिला बागपत (उ0प्र0) रहेगा। जो कि भविष्य में ट्रस्टियों की सहमति के अनुसार अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा एवं अन्य स्थानों पर शाखा कार्यालय स्थापित किये जा सकते है।

ट्रस्ट के उद्देश्य :

1. ईश्वर भक्ति द्वारा ज्ञान की ज्योति जागृत कर अंधकार दूर कर जन कल्याण हेतु मानव हृदय में समता, करूणा व स्नेह का संचार करना।
2. वैदिक धर्म रक्षार्थ, वैदिक धर्म का प्रचार, प्रसार करना व वेद शास्त्रों तथा धार्मिक धर्म ग्रंथो का प्रचार–प्रसार करना, वैदिक धर्म के विभिन्न संस्कारों का सामूहिक आयेाजन करना।

अजय

क्रम संख्या 1263 स्टाम्प विक्रय की तिथि 20-9-18

स्टाम्प क्रय करने निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता 1261 ...

स्टाम्प की धनराशि न्यासी

श्री अजय खोखर, पुत्र श्री चरण सिंह खोखर

(सचिन गुप्ता स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेन्स संख्या-41 निवासी: म0 नं0 15 महावीर वाली गली बागपत तहसील

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2019 व जिला बागपत

विक्रय का स्थान—रजिस्ट्री कम्पाउण्ड, बागपत

व्यवसाय: अन्य

अजय

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री चरण सिंह खोखर , एडवोकेट बागपत

निवासी: सीट नं0-1 सब रजिस्ट्री कम्पाउण्ड बागपत

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री सुरेन्द्र सिंह , दस्तावेज़ लेखक बागपत

निवासी: सीट नं0-1 सब रजिस्ट्री कम्पाउण्ड बागपत

व्यवसाय: दस्तावेज लेखक

S Singh

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वास वर्मा प्रभारी उप निबन्धक बागपत
सदर
उप निबंधक : सदर
बागपत

सुगम किशोर .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 298489

3. समाज में व्याप्त बुराइयों (कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, मांसाहार व नशा आदि) को समूल नष्ट करने हेतु प्रचार व प्रसार करना, व दहेज रहित विवाह संस्कार कराना व प्रमाण पत्र देकर उनको उत्साहवर्धन हेतु सम्मानित करना।
4. समाज के वर्गो, धर्मो की एकता हेतु सदभावना पूर्ण वातावरण तैयार करना, चरित्र निर्माण व संस्कृति व राष्ट्रीय एकता हेतु शिविर आयेाजन करना।
5. युवा शक्ति व मातृ शक्ति को सही दिशा व शिक्षा प्रदान कर धार्मिक संस्कारवान व रचनात्मक कार्यो में उनकी रूचि उत्पन्न कर उनकों राष्ट्रीय भावना व विकास हेतु प्रेरित करना।
6. आश्रम, अनाथालय, महिलाश्रम, औषधालय, धर्मशाला, यज्ञशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम आदि का निर्माण, विकास व संचालन करना।
7. निर्धन, अनाथ व अन्य विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु तकनीकी, गैर तकनीकी, व धार्मिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्थाऐं स्थापित करना व संचालन करना।

अजय

क्रम [illegible] 246 [illegible] विक्रय की तिथि 17-7-18
स्टाम्प क्रय [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 100

(ओमवीर सिंह [illegible] स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स संख्या [illegible]
लाइसेन्स की अवधि [illegible] 18
विक्रय का स्थान [illegible] बागपत

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 542379

8. इस ट्रस्ट के समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं, ट्रस्ट, समितियों आदि से आर्थिक सहायता व अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त करना व प्रदान करना।
9. प्राकृतिक आपदाओं से पीडित लोगो की सहायता करना।
10. ट्रस्ट हेतु समय-2 पर चल व अचल सम्पत्ति को दान द्वारा प्राप्त करना, निर्माण, पुर्ननिर्माण, जीर्णोधार करना जो ट्रस्ट के हित में हो तथा उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो।
11. मूक प्राणियों, पशु, पक्षियों को अभयदान, आहारदान, तथा अन्य प्रकार से इन प्राणियों की रक्षार्थ कार्य करना।
12. वैदिक धर्म कें प्रचार-प्रसार हेतु प्रर्वचन, व्याख्यान, धार्मिक पुस्तके, प्रतिकाओं का प्रकाशन व कैसिट, सी0डी0 निर्माण, कराना।
13. वैश्विक स्तर पर शैक्षिक आदान प्रदान करना तथा देश व विदेश के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से शैक्षिक स्तर पर आदान प्रदान स्थापित करना।
14. यू0जी0सी0 एवं अन्य स्वायत्त संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षिक अधिकरणो से विशिष्ट शैक्षिक केन्द्र प्राप्त करना एवं विभिन्न परियोजना हेतु अनुदान प्राप्त करना।

अजय

क्रम संख्या 321 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-9-16
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 20/-

(ओमवीर सिंह डागा स्टाम्प विक्रेता) [illegible]
लाइसेंस संख्या [illegible]
लाइसेंस की अवधि [illegible] 2019
विक्रय का स्थान [illegible], बागपत

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 542380

15. उक्त ट्रस्ट की स्थापना बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की गई यानि उक्त ट्रस्ट की स्थापना समाज के हित व कल्याण के लिये की गई है।
16. अस्पताल औषधालय अनुसंधानशालाओं एवं रसायन शालाओ का संचालन एवं स्थापना करना।
17. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना, शहरो में पेड लगाना जिससे प्रदुषण कम हो, खाली पडी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पाये।
18. निरीह प्राणियों, पशु, पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
19. स्कूल व कालेज में छात्र, छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
20. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद खरीदना व प्राप्त करना उन्हे क्रय , विक्रय करना स्थानान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।
21. समस्त मानव कल्याण के लिए कार्य करना।

अजय

322

क्रम संख्या——स्टाम्प विक्रय की तिथि— 22-9-18

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन——

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता— ~~[illegible]~~ 321 [illegible]

स्टाम्प की धनराशि—— [illegible]

(ओनवीर सिंह [illegible] स्टाम्प विक्रेता) [illegible]

लाइसेंस संख्या-03 [illegible]-2

लाइसेंस की अवधि [illegible]2019

विक्रय का स्थान [illegible], बागपत

22. ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।
23. ट्रस्ट की आय बढाने के उद्‌देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।
24. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टिज का गठन एवं नियमन :

1. ट्रस्टीयों की अधिकतम संख्या : बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुल ट्रस्टीयों की अधिकतम संख्या केवल 9 होगी। उक्त ट्रस्टीयों में से केवल प्रथम दो आजीवन ट्रस्टी रहेंगे बाकी 7 साधारण ट्रस्टी रहेंगे तथा उक्त प्रथम दो ट्रस्टीयों के स्वयं लिखित त्यागपत्र देने या शारारिक, मानसिक रूप से कानूनी तौर पर अयोग्य घोषित होने तक ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
2. साधारण ट्रस्टीयों की नियुक्ति : उपरोक्त प्रथम दो आजीवन ट्रस्टीयों के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अधिकतम 7 साधारण ट्रस्टीयों की नियुक्ति समय–2 पर कर सकेगा। जिनकी नियुक्ति व कार्यकाल आजीवन ट्रस्टीज के ऊपर निर्भर रहेगा।
3. ट्रस्टी बनने की योग्यता : इस ट्रस्ट के उद्‌देश्यों के पति श्रृद्धा तथा विश्वास रखने वाला समर्पित सेवा भावी व्यक्ति पुरूष अथवा महिला, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा, किन्तु उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है।
4. नामांकन : आजीवन प्रथम दो ट्रस्टी अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नामांकित कर सकेंगे। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे तो आजीवन ट्रस्टी का प्रथम पुत्र/पुत्री उसका उत्तराधिकारी माना जायेगा। यदि वह किन्हीं परिस्थितियों में संभव न हो सका तो उक्त पद पर उस समय के ट्रस्टीयों एवं संस्थापक संरक्षक द्वारा सर्वानुमति से निर्णय होकर रिक्त पद पर ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी। यदि सर्वानुमति न हो पाये तो संस्थापक संरक्षक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा, किन्तु उस व्यक्ति में ट्रस्टी बनने की योग्यता होना आवश्यक है।
5. ट्रस्टी को पदच्यूत करने की प्रक्रिया : यदि कोई साधारण ट्रस्टी ट्रस्ट हितों के प्रतिकुल कार्य करता है या ऐसा कार्य करता है जिससे ट्रस्ट की सम्पत्तियों, प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि हो रही हो शारीरिक एवं मानसिक रूप से ट्रस्टी के कार्य करने के अयोग्य हो अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन जो व्यक्ति ट्रस्टी बनने योग्य नही रह गया हे तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा 2/3 के बहुमत से सफाई का मौका देकर ऐसे ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से निकाला जा सकेगा। जिसमें प्रथम दो आजीवन ट्रस्टी का मत होना अनिवार्य है।

अजय

ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. ट्रस्ट की उपार्जित समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के नाम से रहेंगी, किन्तु उपरोक्त सम्पत्तियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट हित में उपयोग करने, विक्रय करने, खरीदने हस्तान्तरित करने किराये पर देने अथवा लेने का अधिकार रहेगा।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित में विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी संस्थाओं से नगद, अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा चल–अचल सम्पत्ति के रूप में अथवा अन्य प्रकार से स्वेच्छिक दान, ग्रान्ट, सहायता, अपदान आदि प्राप्त कर सकेंगे एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेंगे।
3. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे समस्त कार्य करने की स्वतन्त्रता रहेगी, जिससे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो। जिसमें ट्रस्ट की आय को बढाने के लिये समस्त वैधानिक प्रयास करना जिसमें व्यवसाय भी शामिल है।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विभिन्न, पूजियों चल एवं अचल सम्पत्ति एवं नगदी का विनियोजन निम्नलिखित संस्थाओं में करने का अधिकार रहेगा।
    1. राष्ट्रीयकृत बैंको (सरकारी/सहकारी बैंक)
    2. सरकारी प्रतिभूतियों
    3. यूनिट ट्रस्ट
    4. सार्वजनिक कम्पनियों के अंशो में या सावधि जमा के रूप में।
    5. म्यूचुअल फंड की योजनाओं में
    6. तथा ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में कर सकेंगे जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित है।
    7. डाकघर
5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के कार्यो के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी, अद्धसरकारी विभागों/संस्थाओं से ट्रस्ट की ओर से अनुबंध हस्ताक्षर कर निष्पादित करने, प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने, आलेख तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे, किन्तु ऐसे ट्रस्टीयों के नाम ट्रस्ट की बैठक मे तय किये जायेंगे कि कौन ट्रस्टी किस कार्य के लिए अधिकृत रहेगा।
6. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु अन्य पदाधिकारियों प्रभारी आदि की नियुक्ति करने, समिति, उपसमिति का गठन करने एवं ट्रस्ट के घोषणा पत्र के अनुरूप समय–2 पर नियम, विनियम तथा उपनियम बना सकेंगे ताकि इस ट्रस्ट का प्रबन्ध और प्रशासन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

7. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यदि चाहे तो ट्रस्ट के कार्यों के लिए वैतनिक या अवैतनिक विभिन्न कर्मचारियों जैसे सचिव, सहायक, टंकक, लिपिक, रीकडियां लेखाकर, निरीक्षक, सफाई, कर्मचारियों, प्रभारी, सेवक, इत्यादि की नियुक्ति करने उनके भत्ते एवं उनके अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने, निर्धारित करने आदि के लिए अधिकृत होंगें।

8. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों बैंक, वित्तीय, संस्थाओं साख समितियों से ब्याज पर अथवा बिना ब्याज के ऋण ले सकेंगे एवं प्रतिभूति बतौर ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति को गिरवी भी रख सकेंगे।

9. भविष्य में ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं समितियों हेतु ट्रस्टीगण समय–2 पर प्रबन्ध समिति का गठन कर सकेंगे तथा इन संस्थाओं एवं समितियों का संचालन ट्रस्ट समिति के निर्देशानुसार होगा एवं ट्रस्ट समिति प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन अधिकतम 6 माह में करना आवश्यक होगा तथा जब तक प्रबन्ध समिति/समितियों का पुनर्गठन नही हो जाता है तब तक उसका संचालन ट्रस्ट समिति के द्वारा किया जायेगा।

10. प्रथम ट्रस्टी तथा उनके उत्तराधिकारी ट्रस्ट के लिए किये गये कार्यो हेतु किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी नही रहेंगे तथा उन्हें ट्रस्ट के कार्य अवैतनिक की हैसियत से करने होंगे तथापि ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले विभिन्न कार्यो में कोई व्यय उनके पास से होगा तो वे उसका भुगतान ट्रस्ट से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

    1) अध्यक्ष ट्रस्टी जब तक कि लिखित में त्याग पत्र न दे आजीवन इस ट्रस्ट के प्रबन्ध ट्रस्टी तथा अध्यक्ष बने रहेंगे। प्रबन्ध ट्रस्टी को ट्रस्ट की दैनिक गतिविधियों के संचालन के सभी प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय अधिकार रहेंगे तथा विशेष रूप से ट्रस्ट के बैंक खाते के परिचालन के सम्बन्ध में तथा ट्रस्ट के लिये ऋणों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रबन्धक ट्रस्टी को विशेष अधिकार रहेगें।

अजय

2) ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों का दैनिक प्रबन्ध नियोजन, नियंत्रण प्रशासन, प्रबन्ध ट्रस्टी अपने विवेक से कर सकेगा तथा साथ ही ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं एवं समितियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकेगा।

3) प्रबन्ध ट्रस्टी का पद यदि किसी कारण से रिक्त होगा तो प्रबन्ध ट्रस्टी के परिवार के किसी सदस्य को प्रबन्ध ट्रस्टी बनाया जा सकेगा।

4) मैनेजिंग ट्रस्टी को जब भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता महसूस होगी वह बैठक बुला सकेगा।

11. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व परमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वह स्वयं या उनके से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐंसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यो के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष भी उक्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होगें।

12. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधी जमा खाता, बचत खाता, ओवर ड्राफट खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्थ्या जो कि बैंकिग व्यवसाय करती हो में खोल सकते है, परन्तु उक्त सभी बैंकिग खातो का संचालन दो पदाधिकारियों के संचालन से होगा जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव होगें।

अजय

14. यह कि अध्यख एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को गिरवी रखकर उधार/ऋण लोने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण बैंक गारन्टी लोन का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव को होगा।

ट्रस्ट का लेखा जोखा :– ट्रस्ट की आय, व्यय, प्राप्ति, भुगतान, सम्पत्तियों, निधियों आदि के हिसाब, किताब के लिये विभिन्न लेखा, पुस्तके, रसीद, बाउचर्स, रोकड, खाता, बही, नकल, अचल सम्पत्ति, रजिस्टर एवं रजिस्टर रखे जायेगें तथा उपरोक्त लेखा पुस्तकों का ट्रस्टीयों द्वारा अधिकृत किसी अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा। प्रतिवर्ष का लाभ हानि स्थिति विवरण पत्रक ट्रस्टीयों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

ट्रस्ट का वित्त वर्ष :– ट्रस्ट का वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त माना जायेगा।

ट्रस्टीयों की सभा एवं कोरम :– ट्रस्ट के विभिन्न मुददों पर विचार करने हेतु ट्रस्टीगण समय–2 पर बैठक का आयोजन करेंगे तथा उसमें लिये गये निर्णयों के आधार पर इन्हें क्रियान्वित करेंगे। उपरोक्त कार्यो को वे विभिन्न ट्रस्टीयों को परिपत्रों के रूप में भेजकर निष्पादित कर सकेंगे। किन्तु ट्रस्टीयों की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य रहेगी तथा ट्रस्टीयों की बैठक में कम से कम दो ट्रस्टी या ट्रस्टीयों की संख्या का एक तिहाई के बराबर दोनों मे से जो संख्या अधिक हो उतने ट्रस्टी उपस्थित होने पर ही सभा का कोरम पूरा माना जायेगा अन्यथा सभा स्थागित करनी होगी।

सामान्य बाते :–

1. ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिए प्रबन्ध तथा प्रशासन सम्बन्धी अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मे निहित होगें।
2. संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय, विशेष के लिए न होकर सभी जाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गो के व्यक्तियों के हितो के लिए की गयी है।
3. ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जायेगा तथा उस पर उस सभा के अध्यक्ष के हसताक्षर होंगे तथा ट्रस्ट की सभी कार्यवाही एवं व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा।

अजय

सुरेन्द्र सिंह

4. किसी भी मुद्दे पर किसी व्यक्ति, संस्था संगठन वगैरह से विवाद होने अथवा विवादित कार्य अथवा अनिर्णय की स्थिति में ट्रस्टीगण पंच/ निर्णय हेतु पंचों का चयन कर सकेंगे।
5. इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाये गये विभिन्न नियमों या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हुआ तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में 2/3 के बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन किया जा सकेगा।
6. ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में यदि कोई बात स्पष्ट नही है या लिखने में छूट गयी हो तो उसका निर्णय उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 अथवा इस समय प्रचलित कानून के अनुसार किया जायेगा।
7. ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत न होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।
8. इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल सम्पत्ति का उपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नही कर सकेगा। ऐसा होने की दशा में अन्य ट्रस्टी बहुमत के अधार पर तथा संरक्षक उसको ट्रस्टी के पद से हटा सकेंगे।
9. ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को दान देने वालो के हितार्थ समय–2 पर ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम में ऐसी छूट प्राप्त कर सकेंगे जो इस समय लागू हो।
10. यह ट्रस्ट अखण्डनीय है।

अजय

यह कि उक्त ट्रस्ट में निम्न बाते अंकित होने से छूट गई थी जिनका अंकित किया जाना अति आवश्यक है :–

तिबन्धों की बाध्यता :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय – समय पर नवीनीकरण कराया जायेगां
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथव शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान नही दिये जायेंगे।
   तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते सहायता प्राप्त अशासकीय
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे , संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो से छात्रों को अनुन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नही किया जायेगा।

अजय

अतः यह लेख पूरक पत्र ट्रस्टीयों के उपस्थिति में सोच–समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वउपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करेन के उद्देश्य से हस्ताक्षर कर निष्पादित किया। लेखतिथि : 22.09.2018

मसविदा एवं फोटो प्रमाणित : सुरेन्द्र सिंह दस्तावेज लेखक बागपत ।

हस्ताक्षर संस्थापक

अजय

साक्षी : चरण सिह खोखर एडवोकेट बागपत।
पुत्र जहान सिंह
निवासी गायत्रीपुरम बागपत
तह0 व जिला बागपत

साक्षी : सुरेन्द्र सिंह दस्तावेज लेखक, बागपत।
पुत्र श्री महावीर सिंह
निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर तह0 व जिला बागपत

अजय

सुरेन्द्र सिंह
दस्तावेज लेखक
बागपत

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 177 के पृष्ठ 241 से 270 तक क्रमांक 59 पर दिनाँक 22/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विशवास वर्मा प्रभारी उप निबन्धक बागपत सदर
उप निबंधक : सदर
बागपत
22/09/2018